

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3062
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत
महाराष्ट्र में केवीआईसी कार्यक्रम

3062. श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कारीगरों को मशीनों और टूलकिटों के वितरण के लिए 'खादी रोजगार उत्सव' कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में केवीआईसी की योजनाओं के अंतर्गत जिन कारीगरों, बुनकरों और अन्य लाभार्थियों को मशीनें, टूलकिटें और अन्य सहायता प्रदान की गई हैं, उनकी जिला-वार संख्या कितनी है;
- (घ) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों, महिलाओं और युवाओं के बीच रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में केवीआईसी कार्यक्रमों के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा ग्रामीण एवं पारंपरिक कारीगरों को विभिन्न ग्रामोद्योगों से संबंधित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनकी उत्पादकता संवर्धन के लिए टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन पहलों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा नासिक तथा वर्धा में ग्रामीण कारीगरों को औजार किट वितरित करने के लिए खादी रोजगार उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

(ग): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए विभिन्न खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

- खादी विकास योजना (केवीवाई) के अंतर्गत संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) घटक के माध्यम से पात्र खादी कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा समूह वर्कशेड के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमएमडीए घटक के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 में 400 कारीगर, 2024-25 में 519 कारीगर और वर्ष 2025-26 में 360 कारीगर लाभान्वित हुए। इसके अलावा, खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 40 कारीगर तथा वर्ष 2025-26 में 30 कारीगर लाभान्वित हुए थे।

- ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में लाभान्वित कारीगरों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक-1** पर है।

(घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पारंपरिक कारीगरों, महिलाओं तथा युवाओं के बीच रोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विदर्भ, मराठवाड़ा तथा महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों सहित देशभर में विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है। इन स्कीमों के अंतर्गत स्व-रोजगार तथा सतत आजीविका के अवसरों को सुगम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक औजार एवं उपकरण, विपणन सहायता तथा पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान की जाती है।

- खादी कताई एवं बुनाई, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, कढ़ाई, कुम्हारकारी, अगरबत्ती एवं मोमबत्ती निर्माण तथा अन्य ग्रामोद्योगों सहित विभिन्न व्यवसायों में कारीगरों एवं बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बढईगिरी, लुहारी, स्वर्णकारी, राजमिसत्री कार्य, नाई का कार्य तथा मछली पकड़ने के जाल बनाने आदि सहित 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- स्व-रोजगार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमईजीपी तथा पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना लागत के अधिकतम 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए अधिक सब्सिडी का प्रावधान है। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दो किश्तों में ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किया जाता है।
- कारीगरों तथा उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच एवं व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जेम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जुड़ने, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों सहित विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) केवीआईसी के कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न केवीआई क्रियाकलापों के अंतर्गत ₹2402.99 लाख की निधि का उपयोग किया गया।

**ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य
में लाभान्वित कारीगरों की जिला-वार संख्या**

क्र.सं.	जिला	लाभान्वित कारीगरों की संख्या
1	अहमदनगर	170
2	अकोला	107
3	अमरावती	190
4	औरंगाबाद	30
5	बीड	90
6	भंडारा	200
7	बुलढाणा	60
8	चंद्रपुर	80
9	धुले	40
10	गढ़चिरौली	180
11	गोंदिया	100
12	हिंगोली	60
13	जलगांव	115
14	कोल्हापुर	50
15	लातूर	50
16	मुंबई	105
17	मुंबई (उप-नगर)	120
18	नागपुर	270
19	नांदेड	70
20	नासिक	135
21	उस्मानाबाद	20
22	परभणी	30
23	पालघर	40
24	पुणे	190
25	रायगढ़	20
26	रत्नागिरी	20
27	सांगली	40
28	सतारा	130
29	सिंधुदुर्ग	25
30	सोलापुर	120
31	वाशिम	10
32	वर्धा	68
33	यवतमाल	210
	कुल	3145